

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 25.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-39 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना को० देहात पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. प्रमोद कुमार पुत्र रामसवारें नि० उत्तरपुरवा बखरौली थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-150/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजकुमार उर्फ मोनू पुत्र रामदयाल कोरी नि० छतौनी थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 पौच्चा नगीना देशी शराब बरामद कर मु०अ०सं०-107/21, धारा 60(1) आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजय पुत्र सोमई नि० बालपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-140/21, 02. सुदामा चौहान पुत्र दन्ने चौहान नि० बालपुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-141/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधि० के 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। मंगलवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने मु०अ०सं०-110/21, धारा 60/60(2), 72 आबकारी अधि० व 272 भादवि से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों-01. सुखराम पुत्र खदेरू, 02. वकील पुत्र झपसु, 03. छेदी पुत्र हरिश्चन्द्र निवासीगण सैदपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.05.2021

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना छपिया पुलिस ने मु0अ0सं0-303/20, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बृजेश को ग्राम सिसई से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. बृजेश कुमार पुत्र रामनिवास नि0 सिसई रानीपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-303/20, धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता—

01. व0उ0नि0 सुरेश मणि मिश्र मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.05.2021

अवैध मादक पदार्थ के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना करनैलगंज के उ०नि० सहदेव दुबे मय हमराह के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त इब्रार व बाबू कुरैसी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना करनैलगंज में एन०डी०पी०एस० एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. इब्रार पुत्र नसरुउलाह नि० कसाई मोहल्ला नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।
02. बाबू कुरैशी पुत्र हनीफ कुरैशी नि० कसाई मोहल्ला नई बाजार थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु०अ०सं०—193/21, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा

गिरफ्तार कर्ता—

उ०नि० सहदेव दुबे मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 25.05.2021

दहेज हत्या का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना धानेपुर पुलिस ने मु0अ0सं0-129/21, धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय कुमार गुप्ता को बग्गीरोड से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी की लड़की को दहेज की बात को लेकर प्रताड़ित करते हुए फांसी लगाकर जान से मार दिया था तथा शव का अंतिमसंस्कार कर दिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अजय कुमार गुप्ता पुत्र दशरथलाल नि0 बनगई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-129/21, धारा 498ए, 304बी, 201 भादवि व 3/4 डी0पी0एक्ट एक्ट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता—

01. उ0नि0 दधिबल यादव मय टीम।